कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

अल्पकालीन निविदा सूचना

लखनऊःदिनांकःजुलाई 18 ,2017

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, लखनऊ में छायाप्रतियां तैयार करने हेतु ब्राण्डेड कम्पनी की बाई बैक योजना के अन्तर्गत 02 नई फोटो कॉपियर मशीन मय स्टेब्लाइजर, ट्राली एवं एसेसरीज क्रय की जानी है, जिसके लिए सील बन्द निविदा दिनांक 02.08.2017 तक आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदायें प्रति कार्य दिवस में अपरान्ह 2:00 बजे से 4:00 बजे तक इस न्यायालय के अधीन स्थित कार्यालय केन्द्रीय नजारत कमरा न0–7 में जमा की जायेगी। उक्त नियत तिथि व समय समाप्त होने के पश्चात् कोई भी निविदा जमा नही की जावेगी न ही उन पर कोई विचार किया जायेगा।

उक्त जमा की गयी सील बन्द निविदाओं को दिनांक 04.08.2017 की सांय 4:00 बजे जनपद न्यायालय, लखनऊ परिसर में दक्षिणी खण्ड भवन के भू–तल पर स्थित सभागार कक्ष में निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेगी, जिसके लिए सभी निविदाकारों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त सीलबन्द निविदा निम्नानुसार प्रारूप पर तैयार कर जमा की जावेगी।

उपरोक्त से सम्बन्धित निविदा आमन्त्रित किए जाने की तिथि आदि में किसी प्रकार की वृद्धि, परिवर्तन करने एवं किसी प्रकार के विवाद आदि से संबन्धित निर्णय लेने का अधिकार माननीय जिला जज, लखनऊ महोदय के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

अध्यक्ष, क्रय समिति
स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
लखनऊ।

निविदा का प्रारूप निम्नवत् हैः–

1– निविदाकार/प्रोपराइटर का नाम (केवल अधिकृत डीलर हो) : ....

2– पिता का नाम : ....

3 पता : ....

4– मोबाइल न0 : ....

5– प्रतिष्ठान/फर्म का नाम व पता (ब्राण्डेट कम्पनी द्वारा प्रदत्त प्राधिकृत डीलरशिप का प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....

6– प्रतिष्ठान/फर्म का दूरभाष एवं मोबाइल न0 : ....

7– प्रतिष्ठान से सम्बन्धित पंजीकरण एवं व्यापार कर सं0 एवं बैध प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। : ....

8– अर्नेस्ट मनी के रूप में रु0 2000/– का बैंक ड्राफ्ट जो जिला जज, लखनऊ के पक्ष में देय हो मूल रूप में सलग्न करें :– बैंक ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक ....
धनराशि (अंकों में) .... (शब्दों में) ....

क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण

क्र0 सं0	प्रतिष्ठान का नाम	ब्राण्डेड फोटो कॉपियर मशीन मय स्टेब्लाइजर, ट्राली एवं आवश्यक एसेसरीज सहित विवरण	माडल एवं 30 से 40 प्रति मिनट कॉपी तैयार करने की क्षमता मय डूप्लेक्स एवं सार्टिंग सुविधा व 02 पेपर ट्रे के साथ (बिना आर0ए0डी0एफ0)	प्रति सामग्री की दर	कर की धनराशि मय प्रतिशत	पुरानी फोटो कॉपियर मशीन मय सामग्री का विवरण सहित उसकी कीमत	पुरानी मशीन व सामग्री की धनराशि को घटाते हुये कर सहित कुल देय धनराशि

नोटः–

1– क्रय की जाने वाली सामग्री की कीमत की धनराशि का 10% की दर से सिक्योरिटी पहले से ही एक मुश्त धनराशि जमा न किए जाने पर बिल की मूल धनराशि का 10% की धनराशि रोक लिया जायेगा, जिसे समय–समय पर कोशागार में निक्षेप शीर्षक में जमा कर दी जायेगी।

2– आपूर्ति/कार्य पूरा होने के छः माह (या निविदा शर्तों में उल्लिखित अवधि) के बाद सामग्री की आपूर्ति सन्तोष जनक रूप से पूरा होने का प्रमाणक प्राप्त कर सिक्योरिटी धनराशि लौटाने का आदेश पारित किया जावेगा।

3– निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जिला जज, लखनऊ महोदय के अधीन सुरक्षित होगा।

4– क्रय की जाने वाली सम्पूर्ण सामग्री को संबन्धित प्रतिष्ठान द्वारा अपने स्वय के व्यय पर विभाग को आपूर्ति की जावेगी, यदि आपूर्ति की गयी सामग्री खराब पायी जाती है तो उसे आपूर्ति कर्ता द्वारा स्वय के व्यय पर बदल कर पुनः आपूर्ति विभाग को की जावेगी अथवा अस्वीकृत माल को अपने व्यय पर उठायेगा। उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा।

स्थानः– ....

दिनांकः– ....

निविदाकार/प्रोपराइटर के हस्ताक्षर
मुहर/सील सहित

लखनऊःदिनांकःजुलाई 18, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषितः–

1– नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) जनपद न्यायालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त से समबन्धित सूचना को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, लखनऊ की वेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2– सम्पादक .... दैनिक समाचार पत्र।
3– नाजिर सदर, कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।
4– नाजिर सदर, कार्यालय उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
5– लिपिक, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
6– लिपिक कार्यालय अधीक्षक, बलरामपुर, चिकित्सालय, लखनऊ।
7– नाजिर, कार्यालय तहसीलदार सदर, लखनऊ।
8– नाजिर, कार्यालय मण्डलायुक्त, लखनऊ।
9– नाजिर, पारिवारिक न्यायालय, अमेरिकन लाईब्रेरी परिसर, लखनऊ।
10– नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला जज, लखनऊ।

अध्यक्ष, क्रय समिति
स्पेशल जज, (एस0सी0/एस0टी0एक्ट),
लखनऊ।